

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14/07/2022

क्रमांक :- एफ.2(7047)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/16/04541/2022

अनापत्ति प्रमाण पत्र

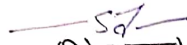
राजस्थान कम्प्युटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायकों को निम्नलिखित परीक्षाओं में पत्राचार/दूरस्थ/स्वयंपाठी माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क. स.	मेरिट न.	नाम	पदस्थापित विभाग	कोर्स/परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय का नाम
1.	3664	श्री लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, भरतपुर	M.C.A. 3rd Year	जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर
2.	New IA-2018 (270813)	श्री लोकेश मोना	कार्यालय उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्राक्धारणी निधि विभाग, करौली	M.C.A. (2 nd Year)	जे.ई.सी.आर. सी. विश्वविद्यालय, जयपुर

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त सूचना सहायकों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

1. कर्मचारियों को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. अध्ययन स्वीकृति/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
3. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत् शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

उक्त कार्मिकों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार के अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश लेने से पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करें।


(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.) एवं
प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. संबधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबधित कर्मचारी.....।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


सहायक प्रशासनिक अधिकारी